रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**
**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**
**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 3264] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2017/अग्रहायण 02, 1939**
**No. 3264] NEW DELHI THURSDAY, NOVEMBER 23, 2017/AGRAHAYANA 02, 1939**

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2017

**का.आ. 3718 (अ).—** केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

**तालिका**

| क्र. सं. | नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 408 | 709 बी | उत्तर प्रदेश राज्य में लोनी (दिल्ली) के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बागपत, बडौत, शामली को जोड़ने वाला और सहारनपुर के निकट रारा-344 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। |

[फा.सं. एनएच-14012/18/2015-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव (एल ए)

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. **689** (अ)**,** तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. **3594** (अ) तारीख **15.11.**2017 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2017

**S.O. 3718 (E). —** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

| Serial No. | New National Highway No. | Description of National Highways |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 408 | 709B | The highway starting from its junction with NH-9 near Loni (Delhi) connecting Baghpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the state of **Uttar Pradesh.** |

[F.No. NH-14012/18/2015-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy. (LA)

**Footnote:—** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the scheduled thereto was published in the Gazette of India, vide notification number S.R.O. dated 4th April, 1957 and was substituted vide notifications number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O.3594(E) dated 15.11.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.27 09:30:37 +05'30'